

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-321) अलेसे-1/6763-72

दिनांक:- 20.07.15

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या 130/14-15 दिनांक 05.01.2015 द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश में क्रम संख्या 04 पर अंकित श्री महेश चन्द शर्मा (लिंक न. 790) के अर्द्धवार्षिक आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2015 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

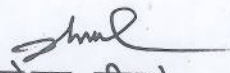
क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-321) अलेसे-1/6763-72

दिनांक:- 20.07.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, बांरा।
2. कोषाधिकारी, बांरा
3. श्री महेश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I, कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त बांरा
4. वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त बांरा
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।

7. उप निदेशक (एलीपी) कम्प्यूटर पर अपलोड हेतु


(कै.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)